राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रु–5/जीकेएन/उपापन 2015–16 जयपुर, दिनांक 13 अगस्त 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र) समस्त, राजस्थान।

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 की पालना के सम्बन्ध में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सहित निर्माण कार्य हेतु सम्बन्धित सकर्मों की आनुषंगिक सामग्री के उपापन बाबत मार्गदर्शक सिद्धान्त।

प्रसंग – राजस्थान राज पत्र में जारी वित्त (जी.एण्ड टी.) विभाग की अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई, 2016 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 के उपनियम– 1 में संशोधन।

विषयान्तर्गत वित्त विभाग की प्रासांगिक अधिसूचना अनुसार विभागीय योजनाओं में सम्पादित कराये जाने वाले विकास/निर्माण कार्य हेतु सम्बन्धित सकर्मों की आनुषंगिक सामग्री का उपापन उक्त प्रासंगिक अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के तहत सम्पादित की जानी है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 के तहत "सीमित बोली" प्रक्रिया के प्रावधान वर्णित है। उक्तानुसार नियम 16 के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और/या कार्यकारी एंजेन्सियों के रूप में उनकी सम्बन्धित समितियों को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु वित्त विभाग द्वारा प्रासांगिक अधिसूचना अनुसार निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :–

"2. **नियम 16 का संशोधन** – राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 में –

i. उप नियम (1) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और

ii. इस प्रकार संशोधित उप–नियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जावेंगे, अर्थात :–

"परन्तु यह कि कोई पंचायती राज संस्था या उसकी समिति सीमित बोली की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि उस विषयवस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर पांच लाख रूपये से कम हो किन्तु यह किसी वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होगी

परन्तु यह और कि उपापन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार पंचायती राज संस्था या उसकी समिति द्वारा किया जायेगा।

राजस्थान राज पत्र की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 16 मार्च, 2016 भाग– 6 (ग) ग्राम पंचायत सम्बन्धी विज्ञप्तियां आदि। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अनुभाग–5 अधिसूचना दिनांक 2016 जो कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या– एफ–1(8)एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4 सितम्बर, 2013 की संशोधित अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2016 के द्वारा क्रम संख्या– 44 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर किये गये संशोधन के क्रम में दिशा–निर्देश/सामान्य शर्तें जारी की गई थी। इसी क्रम में वित्त विभाग की प्रासांगिक अधिसूचना

द्वारा किये गये प्रावधान की पालना में उक्तानुसार जारी विभागीय अधिसूचना दिनांक 10 मार्च, 2016 (अधिसूचना स्थगित दिनांक 14 मार्च, 2016) को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। अब विभागीय अधिसूचना दिनांक 10 मार्च, 2016 के निरस्ती के क्रम में पंचायती राज संस्था या उसकी समिति द्वारा समस्त उपापन कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं प्रासांगिक अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई, 2016 के द्वारा संशोधित नियमों के अधीन की जा सकेगी।

उक्त सम्बन्ध में वित्त विभाग की प्रासांगिक अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई, 2016 की पालना में पंचायती राज संस्था या उसकी समिति द्वारा उपापन कार्यवाही सम्पादन में निम्न सामान्य शर्तों की भी पालना सुनिश्चित की जावे :–

1. ग्राम पंचायत / या कार्यकारी एजेन्सियों के रूप में उनकी सम्बन्धित समितियां को राशि रू. 5.00 लाख तक लागत के लिए आवश्यक सामग्री बाजार दरों के सर्वे के आधार पर संकर्मी की आनुषांगिक सामग्री का ही क्रय / उपापन कर सकेंगी।
2. राशि रू. 5.00 लाख तक की लागत के कार्यों हेतु आनुषांगिक सामग्री खरीद के लिए आपूर्तिकर्ता के निर्धारण हेतु कम से कम 3 योग्यताधारी आपूर्तिकर्ताओं से ग्राम पंचायत स्तरीय क्रय समिति द्वारा बाजार दरों के सर्वे के आधार पर दर प्रस्ताव प्राप्त किये जाकर उपापन किया जाएगा।
3. दर प्रस्ताव आमन्त्रित करने हेतु प्रस्ताव रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट / डाक से ही भेजा जाना अनिवार्य होगा एवं इसकी एक प्रति सम्बन्धित पंचायत समिति / जिला परिषद् को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित कर पंचायत के नोटिस बोर्ड, अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी इनकी प्रति चस्पा करेगी। राशि रू. 1.00 लाख या इससे अधिक उपापन होने की स्थिति में संस्था द्वारा दर आमंत्रण प्रस्ताव एवं आपूर्ति आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) पर भी प्रदर्शित करेगी।
4. आनुषांगिक सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता के पास कम से कम 2 वर्ष का सामग्री आपूर्ति का अनुभव होना अनिवार्य है। दर प्रस्ताव के साथ 2 वित्तीय वर्ष पूर्व में जारी स्थाई **TIN No., PAN no, Service Tax number (As applicable)** की प्रति एवं गत 2 वर्षों की दाखिल रिटर्न (जो कि कम से कम उपापन की जाने वाली सामग्री की लागत से 3 गुणा से अधिक हो) की प्रति एवं कर चुकता प्रमाण–पत्र की प्रति वांछित अनुभव होने की पुष्टि हेतु प्राप्त की जावेगी।
5. आपूर्तिकर्ता किसी भी राजकीय संस्थान / उपक्रमों से बोली लगाने से विवर्जित / ब्लेकलिस्टेड नहीं हो।
6. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी एक आपूर्तिकर्ता से रू. 25 लाख से अधिक राशि का उपापन नहीं किया जावे।
7. उक्तानुसार शर्त संख्या– 4, 5 एवं 6 की पालना के क्रम में ग्राम पंचायतवार आपूर्तिकर्ताओं का सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा सत्यापन उपरान्त सूचीबद्ध किया जावे। यदि पंचायतीराज संस्था द्वारा बिना सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता से सामग्री आपूर्ति की जानी आवश्यक है तो सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता का सम्बन्धित पंचायत समिति में सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ पंचायत समिति से सूचीबद्ध कराने के उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जावे, अर्थात् जो आपूर्तिकर्ता पंचायत समिति में सूचीबद्ध नहीं है, से आनुषंगिक सामग्री का उपापन नहीं किया जा सकेगा।
8. किसी एक कार्य के लिए उपापन की गई सामग्री का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। उदाहरण के रूप में यदि ग्राम पंचायत द्वारा एक आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है, तो उक्त संशोधन के सफल निर्माण कार्य हेतु आवश्यक श्रम सामग्री का उपापन किया जा सकेगा एवं उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु उपापन की गई सामग्री का उपयोग किसी अन्य निर्माण कार्य में नहीं किया जा सकेगा।
9. निर्धारित मानक स्तर की सामग्री का ही उपापन किया जावे। इस क्रम में सीमेन्ट एवं लोहा सम्बन्धित विनिर्माता / उत्पादनकर्ता कम्पनी के अधिकृत विक्रेता / अधिकृत सब विक्रेता / होल सेलर / कम्पनी / कम्पनी आउट लेट से ही क्रय की जा सकेगी।
10. उक्तानुसार उपापन की जा रही सामग्री की प्राप्त दरों पर सामग्री उपापन से पूर्व, यदि ग्राम पंचायत द्वारा 5.00 लाख से अधिक लागत के किसी अन्य कार्य हेतु अन्य उपापन पद्धति से सामग्री का उपापन किया जा रहा है तो उसकी दरों का एवं प्रचलित बीएसआर दरों को भी दृष्टिगत रखा जाकर सामग्री का उपापन किया जावे।

11. पचायतराज संस्थाएं या कार्यकारी एजेन्सियों के रूप में उनकी सम्बन्धित समितियां द्वारा कराये जाने वाले कार्यों हेतु प्रत्येक कार्यवार पत्रावली सचारित की जावेगी।
12. वित्त विभाग की प्रासांगिक अधिसूचना के कम में उक्तानुसार पचायतीराज सस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उक्तानुसार सामग्री उपापन की निर्धारित अधिकतम सीमा राशि रू. 50.00 लाख तक की पालना कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित पचायत समिति का होगा, अर्थात् एक वित्तीय वर्ष में रू. 5.00 लाख तक की लागत के कार्यो की अधिकतम सीमा राशि रू. 50.00 लाख के उपरान्त सम्पादित कराये जाने वाले सभी कार्यों के लिए उक्त प्रकिया लागू नहीं होगी।
13. उपरोक्त प्रकिया वर्णित स्त्रोतों/बोली लगाने वालों के प्रवर्ग से उपापन वित्तीय शक्तियों की प्रत्यायोजना और अपेक्षित बजट प्रावधान की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।
14. पचायत समिति/जिला परिषद/या कार्यकारी एजेन्सियों के रूप में उनकी सम्बन्धित समितियां भी उक्त प्रकियानुसार ही वित्त विभाग की प्रासांगिक अधिसूचना अनुसार अनुमत सीमा तक के कार्यो के लिए आवश्यक आनुषांगिक सामग्री की उक्तानुसार आनुषांगिक सामग्री का क्रय/उपापन कर सकेगी।
15. उपापन संस्था उपापन की विषय वस्तुओं के लिए खुली प्रतियोगी बोली की रीति से भी उपापन करने के विकल्प को अगीकृत कर सकेगी।

उपरोक्त प्रकिया **RTTP Rules, 2013** के नियम 16 "सीमित निविदा" के तहत महात्मा गांधी नरेगा सहित सभी योजनान्तर्गत राशि रू. 5.00 लाख तक (कर सामग्री सहित) की लागत के सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम सीमा राशि रू. 50.00 लाख तक (कर सामग्री सहित) ही लागू होगी। राशि रू. 5.00 लाख से अधिक लागत (कर सामग्री सहित) के कार्यों हेतु सामग्री का क्रय/उपापन नियमानुसार "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013" में यथा विहित सचित प्रकिया एवं वित्त विभाग के निर्देश दिनांक 26.7.2016 के अनुसार 1 सितम्बर, 2016 से ई-उपापन (E-Procurement) प्रकिया को अपना कर ही सम्पादित किया जावेगा।

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रा.वि.

(आनंद कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त,पंरा

अतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रमीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव वित विभाग, ग्रा.वि. एवं पचा.राज, जन कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जल ससाधन विभाग, पचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य संबधित विभाग।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (जी एण्ड टी)।